कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गैरसैंण
Phone N0/ Fax No: 01363.278533 Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 785 /1एल॰ए॰ दिनांक 03 /07/2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत ब्लाक गैरसैंण में कलियाणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/204/2016/एफ0सी0/1013, दिनांक 15.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है, 569 कइस खण्ड के पत्र संख्या 1244/1एल0ए0 दिनांक 13.09.2021 द्वारा विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित 08 शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी जिसके प्रत्युत्तर में आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 1723/12–1 गोपेश्वर दिनांक 30.09.2021द्वारा कतिपय प्रपत्रों की स्पष्ट/पठनीय तथा मानचित्रों की रंगीन छायाप्रति पुनः प्रेषित करने हेतु कहा गया था।अतः पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है–

क्र	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.030 है0 ग्राम– सलियाणा कुनेली लग्गा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जोयगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखाव हेतु रू॰ 5,14,264.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6110147964 date 03.07.2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी है ,**भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।** **नोटः– शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.030 है0 ग्राम सलियाणा कुनेली लग्गा सिविल सोयल भूमि चयनित की गयी थी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, चमोली गोचर भूमि किस्म की होने पर आपत्ति दर्ज की गयी। पुनः राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम लालनगरी प 0वृ0 आदिबद्री तहसील आदिबद्री में 2.030 है0 सिविल भूमि चयनित की गयी जिसका की जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 2651/26–11(2018–2019) गोपेश्वर दिनांक 06.02.2019 द्वारा वन विभाग के नाम आदेश पारित किये गये है।**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0. 8,57,575.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6110147964 date 03.07.2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है, **भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, **जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जमा किया गया है, **चालान की प्रति संलग्न है।**

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी, इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 05 में सड़क निर्माण के पश्चात् दोनों किनारों पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जाएगी। **वचन बद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।**
6	State Govt. will provide revised NPV calculation based on 0.5 density in Eco class V chargine the NPV rate for dense forest.	Revised NPV calculation has been updated in **Praroop 50**as per suggested. **Please find attatched.**
7	State Govt. will review the employment likely to be generated in para-E online part-1.	Road construction provide an opportunity of earning daily wage to local labours,semi skilled labours,skilled labours as well as contractors and privatesuppliers.Postcompletion of construction,this road will help peope connect to markets and other fundamental facilities at ease.This road way will also help people to supply their own produced vegitables,fruits, grains and homemade stuffs by vehicles at affortabe time and cost.hence the roadway construction may not only generate a temporary employment but also attract tourism and create various possibilities of earings to the people of beneficiary villages.
8	State Govt. will provide original/attested hard copies of all documents.	The original Hard copy of original/attested documents are **attatched.**

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अ धिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 3117/FP/UK/ROAD/10147/2015 दि0 30.06.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण

बिन्दु सं० 09– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा खतौनी नं0 अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करते हुए मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने हैं।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों में खसरा नं0–69 एवं खतौनी नं0–03 में दर्शाया गया है, उपयुक्ता प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न है।**
बिन्दु सं० 11– उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत रमरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	**प्रमाण पत्र संलग्न है।**
बिन्दु सं० 14–प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1269/P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र उल्लेखित बिन्दु–01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं। तो उस आदेश में यह स्पष्ट अंकित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नही दिया गया है।	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय के पत्र संख्या 2651/छब्बीस–11(2018–19) द्वारा कलियाणा बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के एवज में ग्राम लाल नगरी प0 वृ0 आदिबद्री तहसील आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0 03 के खसरा नं0 69 रक्का 67.503 है0 भूमि मध्ये 2.030 है0 भूमि जो उ0ख0स0 की नानजेडर श्रेणी–9(3)5 अन्य कृषियोग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, जो वन विभाग के पक्ष में की गयी है, यह भूमि अन्य किसी संस्था/विभाग को नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शा0दे0सं0 2173/XVIII(ii)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार जिलाधिकारी के कार्यालय पत्रांक संख्या 2651/छब्बीस–।। (2018–19) गोपेश्वर दिनांक 06.02.2019 के द्वारा प्रदान की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं आपत्तियों का निराकरण कर हार्ड कॉपी तीन–तीन प्रतियों में मय संलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्न– उपरोक्तानुसार कुल–25पृष्ठ

03/7/24

(इं.जगदीश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गैरसैंण, चमोली

पत्रांक /1एल.ए. तद्दिनांकित् /07/2024

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता महादेय, 7 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता–। निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गैरसैंण, चमोली

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-11-2017

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	6110147964
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD GairsainChamoli
Amount(in Rs)	1371939/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Seventy-One Thousand Nine Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896110147964
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m

Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

[illegible]

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

अग्रसारित सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्राक्प- 51

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 2.00 कि0मी0।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली ।

सत्यापित सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

03

"Central Verge का प्रमाण – पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां – जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में strip plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

प्रमाणित सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्रारुप–50

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्राम बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 2.00 कि0मी0।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी.................. I
2. हरियाली का घनत्व............ 0.5
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0.................. 9,39,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल............ 1.015
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि............. 9,53085.00

R.O.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौचर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर

अद्यावधि सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्रपत्र - 30

Government Of Uttarakhand
Office Of the District Collector : Chamoli

No.....................

Dated..................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settiement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dewellers (Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects.It is certified that 1.530 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kaliyana Gwad band to Digree collage Farkanday Motor Road 2.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.530 Hect of civil area proposed for diversion .A copy of recoreds of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

प्रमाणित सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

Signature
(S.A. Murgeson District Magistrate Chamoli)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.015** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D** (name of user agency) for **Construction Of Kalyana Gwad Band to Degree College Farkhande M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Farkande** villages in **Gairsain** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.015 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

सत्यप्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No--- --

Dated-----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.22 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD Gairsain** (name of user agency) for **Construction Of Kalyana Gwad Band to Degree College Furkhande M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Furkhande, Degree College Gairsain, Rikholi, Nail, Kumoli** villages in **Gairsain** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried
out for the entire 1.015 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Furkhande ,Rikholi, Nail, Kumoli** villages are enclosed.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रतिहस्ताक्षरित
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, Chamoli, on dated 7/3/15 at time 11:00 am at Gopeshwar in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **1.015** hect for the construction of **Kalyana Gwad Band to Degree College Furkhande, M/R** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Furkhande, Rikholi, Nail Kumoli,** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 7/3/15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

अग्रसारित सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।
लम्बाई 2.00 कि0मी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण। परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फरकण्डे ---- शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.015 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.015 – हे0 वन भूमि) का ----लो0नि0वि0----प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –गैरसैण––) की दिनांक –26/2/15– को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी ––––––––––––––––––––––अध्यक्ष
2– श्री प्रताप सिंह ... उप प्रभागीय वनाधिकारी–बद्री ... ––––––सदस्य
3– श्री सुरेन्द्र लाल–सहायक समाज कल्याण अधिकारी–गैरसैण––सदस्य / सचिव
4– श्री –––––––––––डी0डी0सी0 क्षेत्र –––––––––––––––––––सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे ––––––––––––––––––परियोजना हेतु 1.015 हे0 वन भूमि ––––लो0नि0वि0 गैरसैण–––– प्रयोक्ता एजन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज परियोजना के निर्माण हेतु 1.015 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैण
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/2/15

सहायक अभियन्ता
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैण
जनपद– चमोली

प्रपत्र—[illegible]

दिनांक 27/1/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः— फरकण्डे

क्र0सं0	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	[illegible] सिंह S/o गंगा सिंह	[illegible]
2.	[illegible] S/o [illegible] राम	[illegible]
3.	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
4.	प्रेम [illegible] S/o गौरी राम	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
8.	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
9.	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
10.	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
11.	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
12.	[illegible] S/o [illegible] राम	[illegible]
13.	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
14.	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
15.	[illegible] राम S/o [illegible] राम	[illegible]
16.		[illegible]
17.	[illegible] देवी W/o [illegible] राम	[illegible]
18.	[illegible] देवी W/o त्रिलोक राम	[illegible]
19.	चम्पा देवी W/o [illegible] राम	[illegible]

सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 15 फरकण्डे
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

[illegible] 27/1/15

उपस्थिति सत्यापित
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्रपत्र—~~23~~

कालीमाटी ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे

परियोजना का नामः— ~~नैल जीमड़ी सेरा~~ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नामः— फरकण्डे

तहसील गैरसैंण, जनपद—चमोली।

डिग्री कालेज अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में ~~नैल जागड़ी सेरा~~ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि—.....शून्य.....है0 सिविल वन भूमि—.....शून्य.....है0 कुल 1.015 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....फरकण्डे.....द्वारा दिनांक.....................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.015.....है0 प्रोयक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0
ग्राम सचिव

[signature]
वार्ड सं0 15 फरकण्डे
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

[stamp]

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्नं किया जाना है।

प्रमाणित सत्यापित

[signature]
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग गैरसैंण से कलियाणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे 2.700 किमी मोटर मार्ग का निर्माण) के निर्माण हेतु इस वन पंचायत के स्वामित्व की [illegible]है0 वन पंचायत भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई है को मार्ग निर्माण प्रयोजन के लिए देने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है। अतः इस सम्बन्ध में वन पंचायत जनहित में शासन / विभागीय निर्देशों / शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वचनबद्ध है।

हस्ताक्षर.

ह0 सरपंच--

वन पंचायत--

सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक [illegible] 4-20 को [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] मार्ग का निर्माण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ([illegible] आपत्ति)

1. [illegible] गौड़ियाल
2. गोपाल [illegible]
3. हीरा चन्द्र
4. [illegible]
5. शौकत [illegible]
6. इन्द्र सिंह
7. [illegible] देवी
8. [illegible] देवी
9. नन्दी देवी
10. मोहम्मद वकील
11. कु. नफीसा
12. सुनीता देवी
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. कल्याण सिंह
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. सरपंच, वन पंचायत [illegible]
21. सरपंच, वन पंचायत [illegible], [illegible] जिला चमोली
22. [illegible]

ग्राम प्रधान [illegible]

अधिशासी अभियंता
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैंण (कार्यदायी संस्था)

तथा डिग्री कॉलेज फरकंडे

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि ~~नैल जायडी सेरा मोटर~~ मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के ...... महीने की 27 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1– यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2– यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है। उनको वर्तमान सवीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।
3– यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम– इं० के०सी०आर्या
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैंण

नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1– [illegible] सिंह	[illegible] सिंह	[signature]
2– [illegible]	[illegible] राम	[signature]
3– [illegible] सिंह	[illegible] सिंह	[signature]
4–		[signature]
5– [illegible]	[illegible] राम	[signature]
6– [illegible]	[illegible]	[signature]
7– [illegible]	[illegible] राम	[signature]
8– [illegible]	[illegible]	[signature]
9– [illegible]	[illegible]	[signature]
10– [illegible] सिंह	[illegible]	[signature]
11– [illegible]	[illegible]	[signature]
12– [illegible] सिंह	[illegible] सिंह	[signature]

सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं० 15 फरकण्डे
वि०ख० गैरसैंण (चमोली)

ग्राम प्रधान
[illegible]
27/1/15

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

105/ILA
14/2/019

– आदेश –

जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में कलियाणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.030 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/204/2016/एफ0सी0/1013 दिनांक 15.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैंण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में कलियाणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम लालनगरी** प0वृ0 आदिबद्री तहसील आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–03 के खसरा सं0–69 रकवा 67.503 है0 भूमि मध्ये 2.030है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः2651/छब्बीस– 11 (2018–2019) गोपेश्वरः दिनांकः06 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैंण/आदिबद्री।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैंण।

YEAR 2018-19
DEPARTMENT NO. XXVI ... II
REGISTER NO. 3014 SERIAL NO. (1)
DATE 06-02-19

कार्यालय सत्यापित
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

जिलाधिकारी,
चमोली।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित कलियाणा ग्वाड बैण्ड रो डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 1.015 है0 वन भूमि के सापेक्ष ग्राम लालनगरी रा0उ0नि0 आदिवद्री के अन्तर्गत खसरा नं0 69 में 2.030 है0 चयनित सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गोचर

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

ग्राम- लालनगरी, राजस्व उप निरीक्षक- आदिबद्री, तहसील- आदिबद्री, जनपद- चमोली

हाल बन्दोबस्ती

1	2	3	4	5	6	7
3	बंजर		02 04 22 xx xx xx 67 69म 71 xx xx xx 155 180 184	0.039 0.038 0.126 xxx xxx xxx 0.054 67.503 0.153 xxx xxx xxx 0.023 0.010 0.691		मु० आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के आदेश संख्या : 265/हलीत-11 (2018-19) गोपेश्वर, दिनांक 06 फरवरी 2019 के क्रम में शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में कालियाणा रवाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित 2.030 है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू० सी०पी०/06/204/2016/एफ० सी०/1013 दिनांक 15.9.2017 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैंण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में कालियाणा रवाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम लालनगरी प०क्षे० आदिबद्री तहसील आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख० खा० सं०-03 के खसरा नं०-69 रकबा 67.503 है० भूमि मध्ये 2.030 है० भूमि जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉन जेड ए श्रेणी-9(3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

राजस्व उप निरीक्षक
आदिबद्री
क्षेत्र ....
तारीख ....

अधिशासी अभियन्ता

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

II 111 79° 13' 18.944" E

जियो रेफरेंस मैप :–जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम– लाल नगरी प0वृ0 आदिबदरी सिविल (क्षे0 2.030 है0)

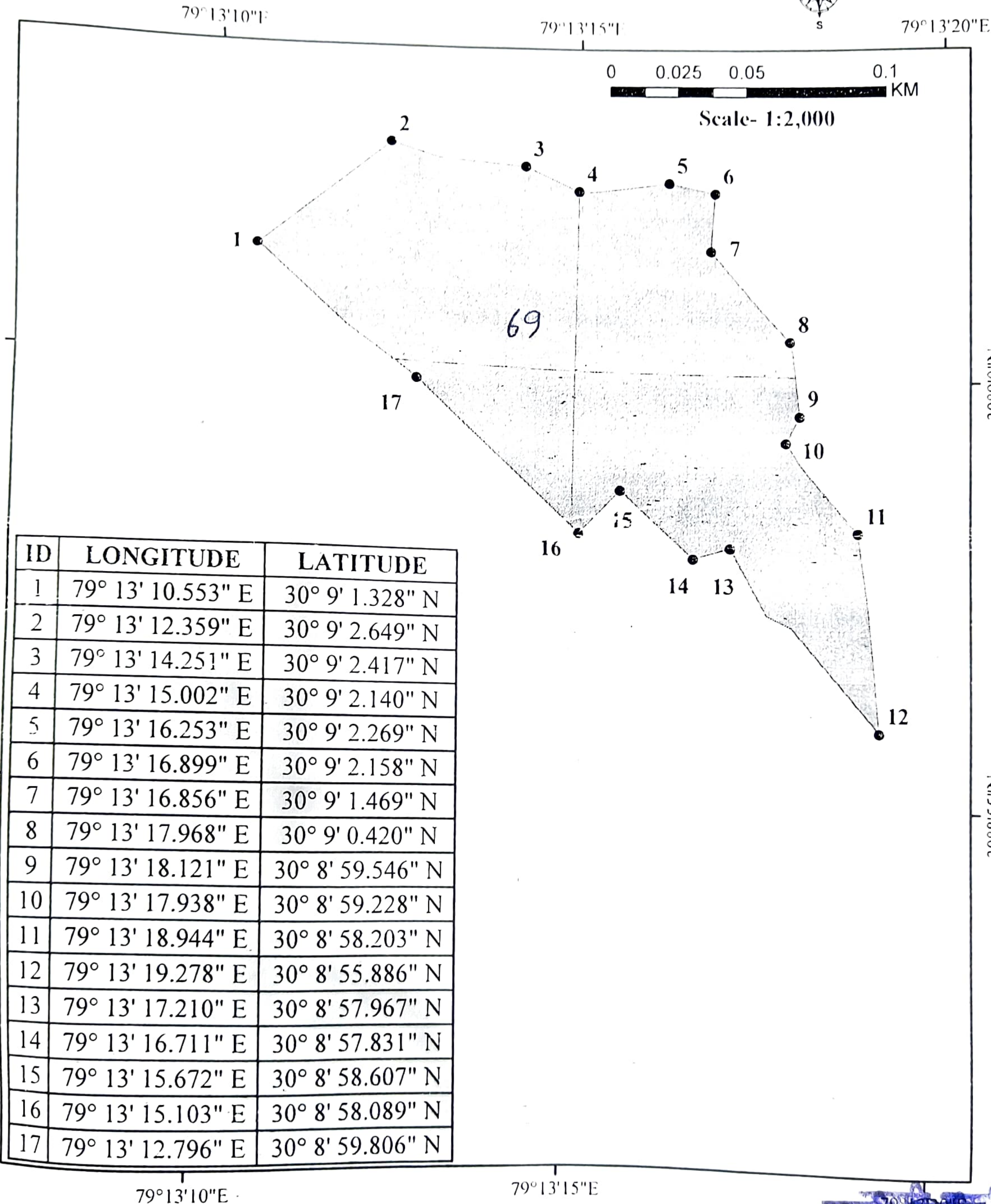

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 13' 10.553" E	30° 9' 1.328" N
2	79° 13' 12.359" E	30° 9' 2.649" N
3	79° 13' 14.251" E	30° 9' 2.417" N
4	79° 13' 15.002" E	30° 9' 2.140" N
5	79° 13' 16.253" E	30° 9' 2.269" N
6	79° 13' 16.899" E	30° 9' 2.158" N
7	79° 13' 16.856" E	30° 9' 1.469" N
8	79° 13' 17.968" E	30° 9' 0.420" N
9	79° 13' 18.121" E	30° 8' 59.546" N
10	79° 13' 17.938" E	30° 8' 59.228" N
11	79° 13' 18.944" E	30° 8' 58.203" N
12	79° 13' 19.278" E	30° 8' 55.886" N
13	79° 13' 17.210" E	30° 8' 57.967" N
14	79° 13' 16.711" E	30° 8' 57.831" N
15	79° 13' 15.672" E	30° 8' 58.607" N
16	79° 13' 15.103" E	30° 8' 58.089" N
17	79° 13' 12.796" E	30° 8' 59.806" N

Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

JE

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

डिजिटल मैप –जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम– लाल नगरी प0वृ0 आदिबदरी सिविल (क्षे0 2.030 है0)

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/04

N W E S

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

अधिशासी अभियन्ता

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

Main Attachment 1.3

डिजिटल मैप ... जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में कलयाना गवाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरखण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0–2.00 कि0मी0)

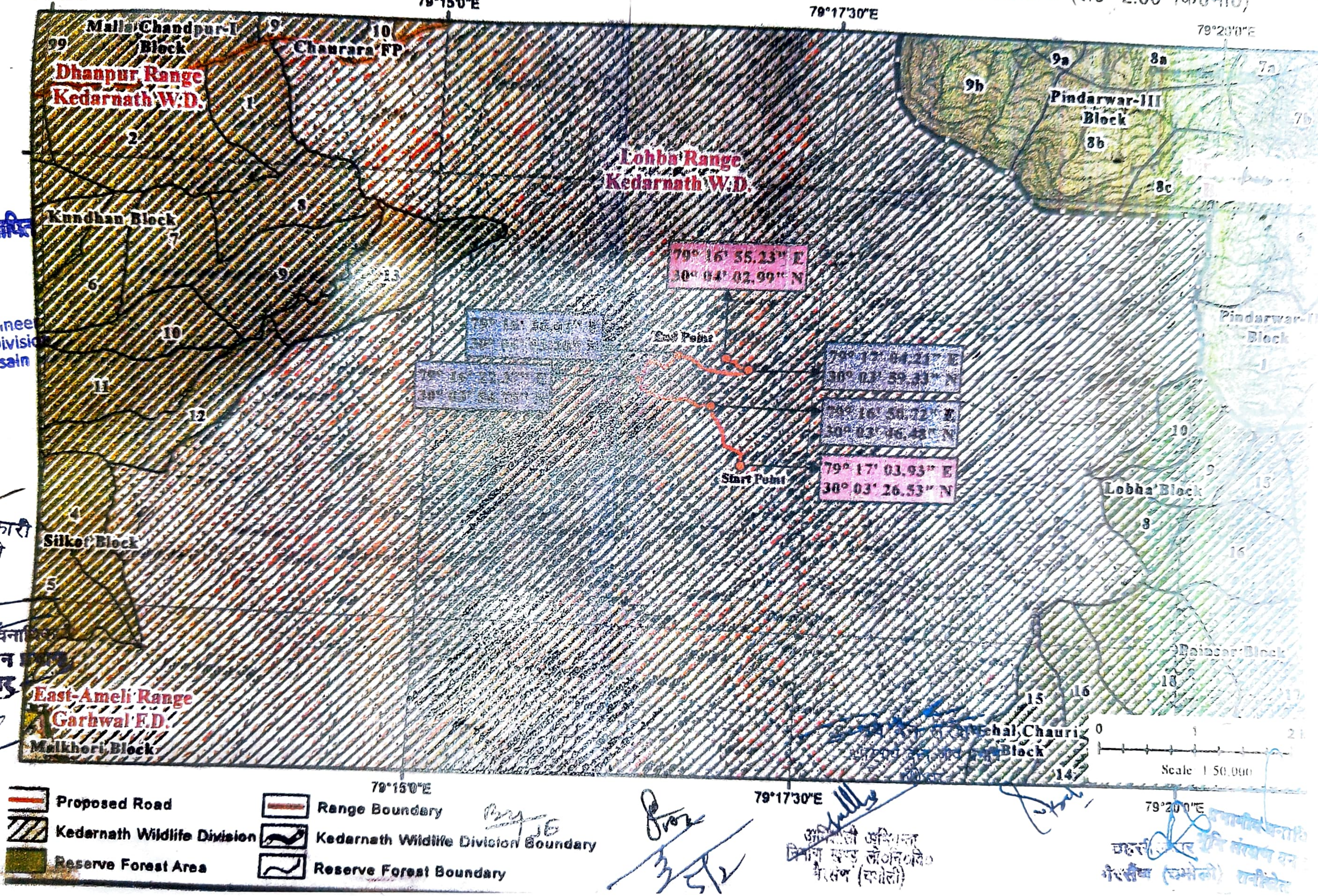

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

जिलाधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

Main Attachment 1.4

डिजिटल मैप :- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में कलयाना गवाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरखण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0–2.00 कि0मी0)

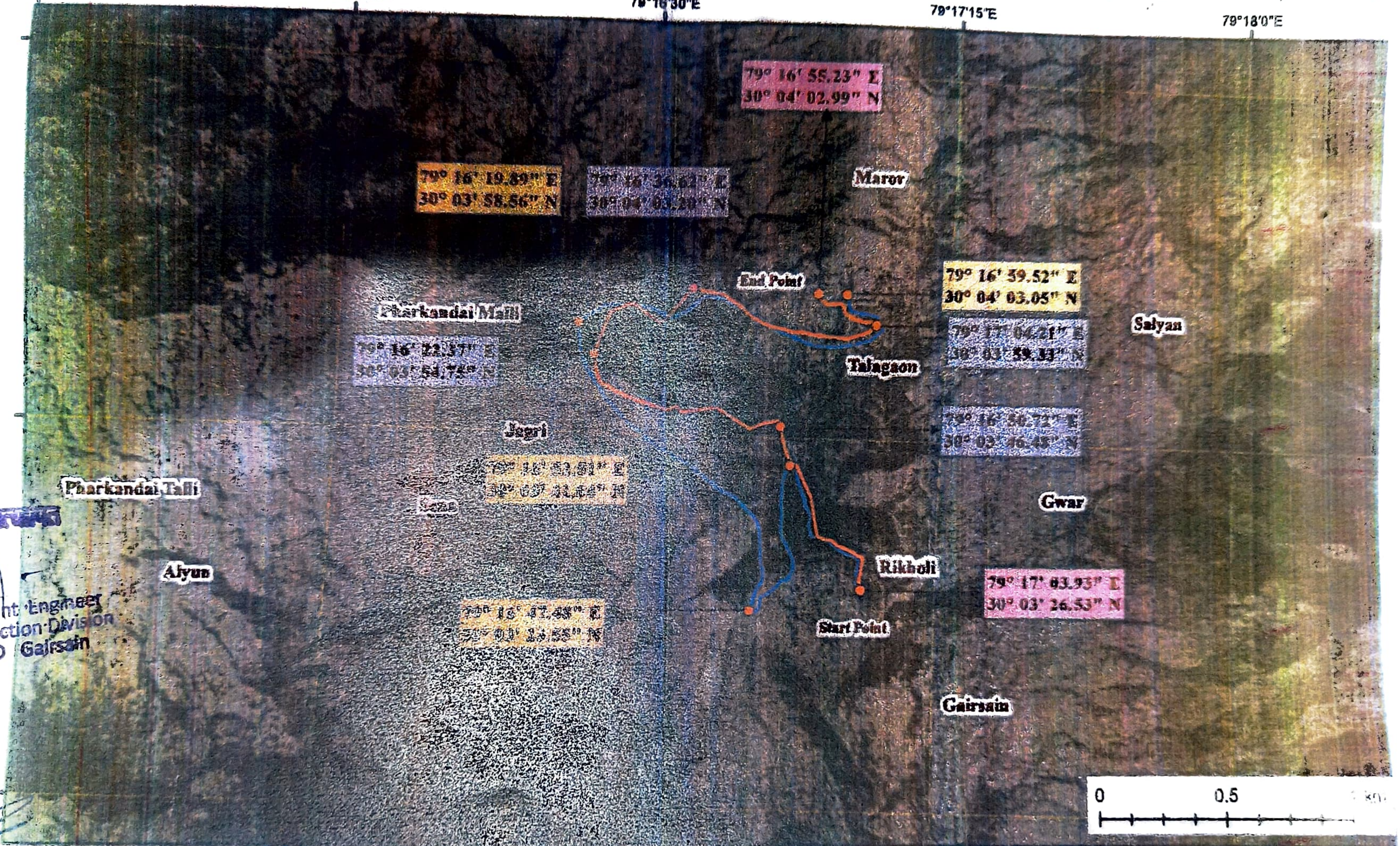

Proposed Road
Alternate Road

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

RO

गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

उपजिलाधिकारी
गैरसैण (चमोली)

MUCK DISPOSAL PLAN

NAME OF PROJECT:-KALIYANA GWAD BAND TO DEGREE COLLEGE FURKHANDE MOTOR ROAD

Length :- 2.00 K.M.

S.No	Item of Work		No		Road Length in	Length per KM	Width	Height	Quantity	Unit
									2.000	KM
	MUCK THAT EXPECTED TO GENERATE FROM									
i)	From hill side cutting Taking average Width of road (6.85+5.95)/2 =6.40 m Assuming 3 m hight and width 6.40/2 i.e. 3.20 m	1.00	1/2		2.00	1000	3.20	3.00	9600.00	CUM
ii)	From Construction of scupper (Dimensions as per standard drawing 8 Nos scuppers per Km)	1.00	8.00		2.00		3.00	2.50	120.00	CUM
	Add swelling Factor 40 %								9720.00	
									3888.00	
					TOTAL MUCK RECEIVED				13608.00 A	CUM
	MUCK THAT PROPOSED TO CONSUME IN									
1	Earth and boulder filling in super elevation. Total nos of curves in 1km =12Nos	1.00	12.00		2.00	20.00	7.00	0.350	1176.000	CUM
2	Construction of [illegible] walling	1.00	1.00		2.00	40.00	0.60	0.550	26.400	CUM
3	Construction of R.W	1.00	1.00		2.00	50.00	0.75	1.800	135.000	CUM
4	Construction of R.Wall	1.00	1.00		2.00	50.00	1.10	2.5	275.000	CUM
5	Construction of wire create at places	1.00	80.00		2.00	3.00	1.50	1.50	1080.000	CUM
6	Hand Packed stone filling	1.00	1/2		2.00	50.00	1.00	1.50	75.000	CUM
7	Making of Edge stone	1.00	250.00		2.00	0.70	0.20	0.10	7.000	CUM
8	Construction of parapet	1.00	100.00		2.00	2.00	0.60	0.45	108.000	CUM
9	Construction of Pucca [illegible] drain	1.00	1.00		2.00	40.00	0.60	0.10	4.800	CUM
10	Construction of Scupper	1.00	4.00	2	2.00	7.25	1.00	2.00	232.00	CUM
11	Construction of Causeway	1.00	3.00		2.00	10.00	7.00	0.50	210.000	CUM
12	Soaling coat/boulder filling in Soft/slushy Reaches.	1.00	1.00		2.00	50.00	6.00	0.50	300.000	CUM
13	GSB layer. G1. G2 & G3	1.00	1.00		2.00	1000.00	6.00	0.30	3600.000	CUM
					TOTAL MUCK COSUMED				7229.200 B	CUM
									6378.8	CUM

BALANCE MUCK SHALL BE DISPOSED AT DUMPING YARDS I.e (A-B) CUM.

Sl No	Qty of Muck Genrated (CUM)	Muck used in construction work (CUM)	Muck disposed on Dumpng yards as per atteched. (CUM)	Balance Muck (CUM)
1	2	3	4	5
1	13608.00	7229.200	6378.8	NIL

DETAILS OF MUCK DUMPING YARDS

Sl No	Location	Name of Land Owner	Type of Land	Size of Dumping Yard					GPS POINT	Capacity of Dumping
1	Km 1	Mohamd Ismil S/O Late Allahdiya	Nap Land	Nap Land	1	112.50	8.00	1.50	79°16'46.23"E 30°03'46.08"N	6573.04cum
2	Km 1	Mohamd Ismil S/O Late Allahdiya	Nap Land	Nap Land	1	105.22	11.50	1.50	79°16'23.31"E 30°03'51.39"N	
3	Km 2	Mahanand S/O Bachiram	Nap Land	Nap Land	1	142.00	16.00	1.50	79°17'04.21"E 30°03'59.33"N	
				Total				4.50		

J.E.
C.D. PWD
GAIRSAIN

A.E.
C.D. PWD
GAIRSAIN

E.E.
C.D. PWD
GAIRSAIN

अग्रसारित सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

TYPICAL X-SEC OF ROAD

NOT TO SCALE

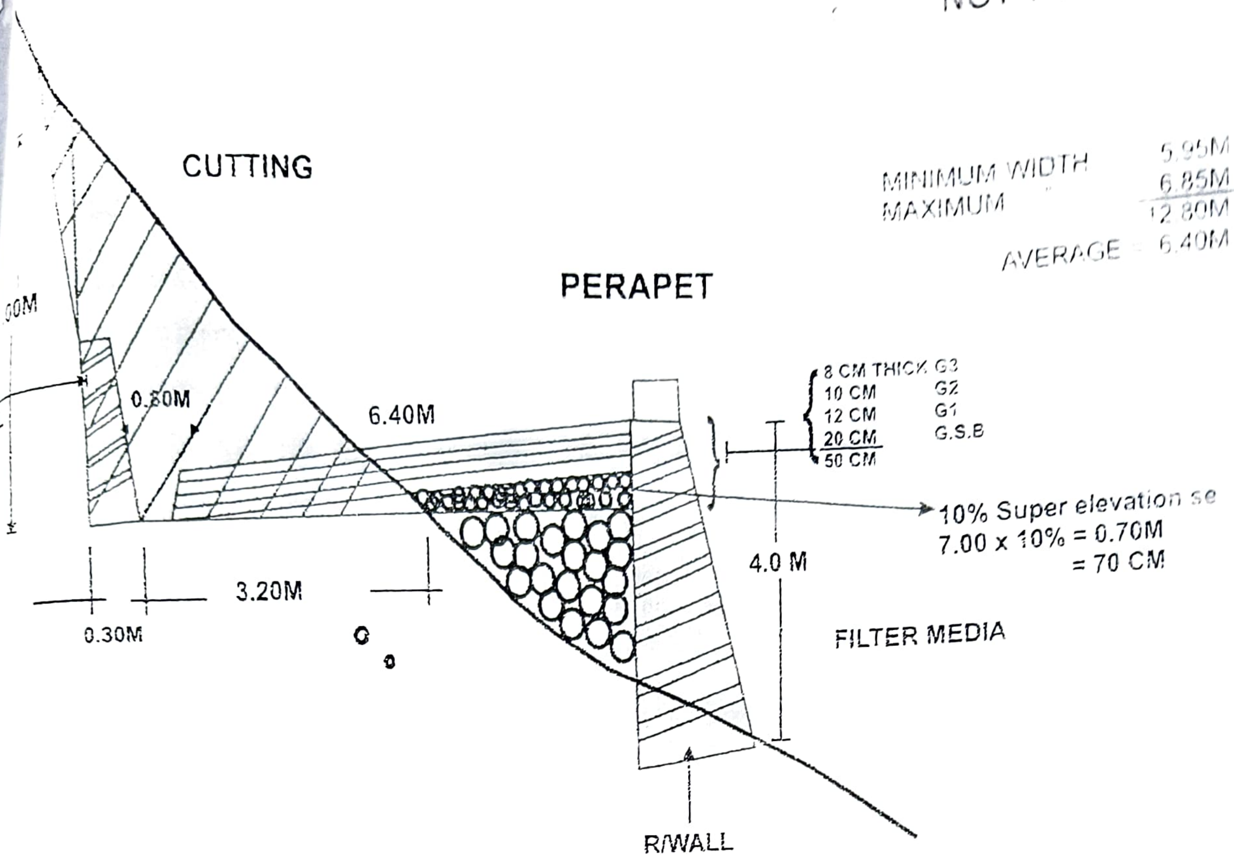

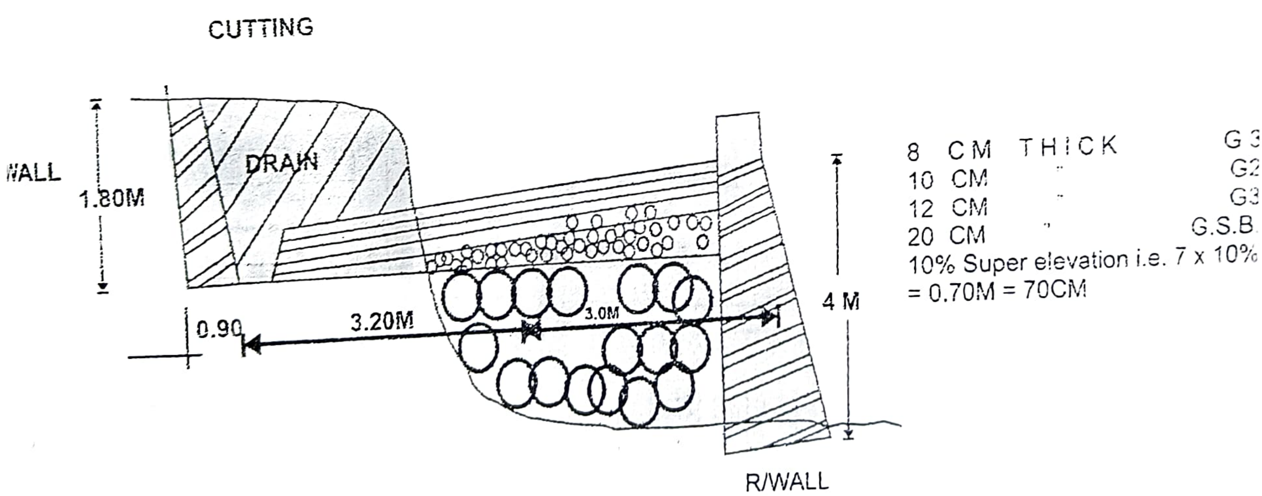

LEGENDS	
MUCK - GENERATION	
MUCK - USE	

अद्यावधि सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

J.E

A.E

E.E

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 204 / 2016 / एफ0सी0 / 1013   दिनांक: 15 / 09 / 2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 927 / X-4-16/1(296)/2016 दिनाक 16.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10147/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.030 है0 ग्राम– सलियाणा कुनेली लग्गा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते मे Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहा–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide revised NPV calculation based on 0.5 density in Eco class V charging the NPV rate for dense forest.
7. State Govt. will review the employment likely to be generated in para-E online Part-I.
8. State Govt. will provide original/attested hard copies of all documents.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कलियाणा–ग्वाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग निर्माण से पूर्व स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षो का पातन कर मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

03/7/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण, चमोली।